रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2010/भाद्र 15, 1932
No. 223] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2010/BHADRA 15, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2010

सं. एल-1/52/2010-केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के साथ पठित धारा 91(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2010 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. **कार्यक्षेत्र**

(1) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए परामर्शियों की नियुक्ति की जा सकेगी, अर्थात् :

(क) सुसंगत तथा आयोग के हित में विनिर्दिष्ट मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह देने;

(ख) बेहतर पद्धतियों का अध्ययन करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, बैंचमार्क विकसित करने या उसी प्रकार के किसी अन्य प्रयोजन के लिए;

(ग) ऐसे अनुभव तथा अर्हताओं की अपेक्षा वाले कार्यों को करने, जो या तो आयोग के पास उपलब्ध नहीं हैं या आयोग की राय में, परामर्शी की नियुक्ति करने से क्वालिटी, समय पर तथा किसी अन्य विचार से कार्य को पूरा करने में अधिक प्रभावत्पकता तथा दक्षता आएगी; और

(घ) आयोग की उसके कृत्यों को पूरा करने में सहायता करना, यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि आयोग में कार्य की मात्रा में वृद्धि हो गई है या नियमित पदों को विभिन्न अवरोधों के कारण नहीं भरा जा सकेगा ।"

3. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (ग) के पश्चात्, एक नया खंड (घ) जोड़ा जाएगा; अर्थात् :—

"(घ) कर्मचारिवृंद परामर्शी"

4. नया विनियम 8क का अंतःस्थापन.—मूल विनियम के विनियम 8 के पश्चात् एक नया विनियम 8क जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"8क. **कर्मचारिवृंद परामर्शी** :

(1) आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि आयोग के कार्य की मात्रा में वृद्धि हुई है या नियमित पदों को भरने में कठिनाई हो रही है, आयोग की उसके कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में सहायता करने के लिए, कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिए कर्मचारिवृंद परामर्शी की नियुक्ति कर सकेगा तथा सचिवालय को और उपाय करने का निदेश दे सकेगा ।

(2) सचिवालय आयोग की वेबसाइट में सूचना प्रकाशित करते हुए तथा यथासाध्य हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(3) सूचना प्रकाशित करने से पूर्व, सचिवालय नियमित पदों के प्रति भर्ती को शासित करने वाले आयोग के विनियमों के सुसंगत विनियमों को ध्यान में रखते हुए, अर्हता तथा अनुभव अपेक्षाओं की पहचान करेगा ।

(4) कर्मचारिवृंद परामर्शी को अर्हता तथा अनुभव के आधार पर प्रवर्गीकृत किया जा सकेगा तथा प्रति मास साठ हजार रुपये (नए अभ्यर्थियों के लिए) से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिमास (15 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के लिए) तक की समेकित फीस की रेंज का प्रस्ताव किया जा सकेगा । इस खंड में उपदर्शित फीस को प्रत्येक वर्ष के अंत में 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि के साथ पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा । सुपात्र मामलों में, अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जा सकेगा जो उपरोक्त उपदर्शित फीस के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(5) अध्यक्ष सीईसी का गठन कर सकेगा जिसमें सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार तथा वह अधिकारी होगा जिसके पास उस कार्य-क्षेत्र का ज्ञान होगा जिसके लिए परामर्शी सेवाएं अभिप्राप्त की जानी हैं । उन मामलों में, जहां नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित कर्मचारिवृंद परामर्शी खंड के प्रमुख के पद के समतुल्य है वहां सीईसी की अध्यक्षता आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी । सीईसी अभ्यर्थियों के साथ विचार-विमर्श करेगा तथा कर्मचारिवृंद परामर्शियों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों तथा संदत्त की जाने वाली फीस की सिफारिश करेगा ।

(6) कर्मचारिवृंद परामर्शी को सामान्यत: दो वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा । कर्मचारिवृंद परामर्शी को दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष में प्रस्तावित फीस पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दी जाएगी ।

5. नया विनियम 9क का अंत:स्थापन : मूल विनियम के विनियम 9 के पश्चात् नया विनियम 9क जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"9क. शिथिल करने की शक्ति :

आयोग, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इन विनियमों के किन्ही भी उपबंधों को शिथिल कर सकेगा ।"

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, सं. 160, भाग III, खंड 4, में तारीख 14 अक्तूबर, 2008 को प्रकाशित किए गए थे ।